न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
11 / 2019	2019 / 18	11.03.2019	12.12.2022(अन्तिम डिक्री)

उनवान प्रकरण

1–डालूराम पुत्र फूलचन्द उम्र 32 साल, जाति माली निवासी ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

—वादी

बनाम्

1. दिवाकर पुत्र विश्वबंधु जाति ब्राह्मण निवासी थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान हाल आबाद केसर भवन, भोसली की टूंटी नाहरगढ़ रोड़, जयपुर
2. विकास गुप्ता पुत्र सांवरमल आयु 35 वर्ष, जाति महाजन निवासी थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
3. हंसराज पुत्र हनुमान आयु 56 वर्ष, जाति अहीर निवासी ढ़ाणी सांकलड़ा जोहड़ा तन् ग्राम झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
4. सागरमल पुत्र भगवानसहाय आयु 52 वर्ष, जाति जाट निवासी सीलपुर तहसील खण्डेला जिला सीकर राजस्थान
5. विरेन्द्र कुमार पुत्र कजोड़मल आयु 44 वर्ष, जाति जाट निवासी करड़का तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
6. श्रवण कुमार पुत्र मक्खनलाल जाति माली निवासी ...वाली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.15 17:01:11 IST
Reason: SelfAttested

12/12/22

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

7. गंगाराम पुत्र गौरीशंकर जाति ब्राह्मण निवासी थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर **(कार्यवाही विड्रा दिनांक 12.09.2022)**

8. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर (राज0)

9. उप पंजियक नायब तहसीलदार अजीतगढ़ जिला सीकर (राज0)

10. सुजाता पुत्री जगतबंधु जाति ब्राह्मण निवासी थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

—प्रतिवादीगण

उपस्थित–

श्री रामावतार सैनी प्रथम, एड0 वादी अभिभाषक।
श्री कमलेश कुमार शर्मा प्रथम, एड0, प्रतिवादी संख्या 1 से 2 अभिभाषक
श्री सरदार सिंह कुड़ी द्वितीय, एड0 प्रतिवादी संख्या 3 से 5 अभिभाषक
श्री कमल कुमार शर्मा, एड0 प्रतिवादी संख्या 6 अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

<u>वादपत्र बाबत विभाजन एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53,188</u>
<u>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

—: निर्णय :—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 838 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 839 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 840 रकबा 0.15 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 0.34 हैक्टर तन ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित है। जिसकें 1/6 हिस्सा का वादी, 1/6 हिस्सा का प्रतिवादी नं. 1 दिवाकर, 1/6 हिस्सा का प्रति[illegible] तथा 1/2 हिस्से का प्रतिवादी संख्या–7 गंगाराम काबिज खातेदार होकर अप[illegible]स्से पर उक्तानुसार मौके पर काबिज है। उक्त भूमि की किस्म[illegible] उक्त सम्पूर्ण भूमि कस्बा थोई में अजीतगढ़ से थोई सड़क पर स्थित है। प्र[illegible]दीगण नम्बर 1 दिवाकर व वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.15 17:01:11 IST
Reason: SelfAttested

12/12/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

तथा खातेदार श्रवण कुमार एंव गंगाराम के बीच में विवादित भूमि का कभी भी मौके पर कोई विभाजन नहीं हुआ है। सम्पूर्ण भूमि मौके पर मिली हुई है तथा मौके पर विभाजन या बंटवारे की कोई सीमा या चिन्ह नहीं है। इसलिए सभी खातेदार अपने नाम से दर्ज हिस्सों के अनुसार अपने-अपने हिस्से की भूमि के काबिज व स्वामी है। सम्पूर्ण भूमि को बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् विभाजन करवाकर अलग-अलग कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। बिना विधिक विभाजन के किसी भी पक्षकार को भूमि के किसी विशेष भाग पर अकेले को कब्जा करने या कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित करने या भूमि की मनमाने रूप से किस्म परिवर्तन करके मौका सूरत तब्दील करने या विधिक रूप से विभाजन व भूमि का कर्नवजन करवाये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण करने का कोई अधिकार नहीं है। वादी विवादित भूमि को बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस मौके पर विभाजन करवाने हेतु हमेशा तत्पर व तैयार रहा है। ऐसी स्थिति में पक्षकारान् के मध्य विवादित भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन किया जाकर उनके हिस्से अनुसार अलग-अलग खातेदारी दर्ज की जाकर अलग-अलग बंटवारा किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रतिवादी नम्बर 1 दिवाकर चतुर व चालाक किस्म का व्यक्ति है जो विवादित भूमि में से सड़क की दिशा पर अवस्थित सम्पूर्ण भूमि पर जबरन ताकत के बल पर कानून की परवाह किए बिना अकेला अपना कब्जा व निर्माण करने पर आमादा है। इस हेतु प्रतिवादी ने प्रतिवादीगण नम्बर 2 ता 5 से भी साजिशी कार्यवाही के तहत अपनी 1/6 हिस्सा की भूमि में से मनमाने रूप से 1/6 हिस्से के 390/408 भाग की भूमि का विक्रय दिनांक 24.01.2019 को प्रतिवादी नम्बर 2 विकास गुप्ता के नाम निष्पादित करवा दिया एंव तत्पश्चात् अपने राजनैतिक प्रभाव के कारण प्रतिवादी नम्बर 2 के द्वारा अपने भाई गिरीराज व अपने सहयोगी सांगरमल जाट को साक्ष्य में स्वंय के नाम खातेदारी दर्ज हुए बिना रजिस्ट्री से ही दिनांक 25.02.2019 को एक विक्रय पत्र विरेन्द्र कुमार जाट के नाम 83.6 वर्गमीटर का तथा एक विक्रय पत्र प्रतिवादी नम्बर 4 के नाम 41.8 वर्गमीटर का एक विक्रय पत्र हसंराज पुत्र हनुमान जाट के नाम 41.8 वर्गमीटर का करवा दिया। जिसमें मनमाने रूप से ... विक्रय पत्रों में इस भूमि को व्यावसायिक भूखण्ड के रूप में ... जबकि आज दिन तक भी उक्त विक्रेता

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.15 17:01:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

12/12/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

विकास गुप्ता या केतागण के नाम ना तो कोई खातेदारी दर्ज हुई है एंव ना ही उक्त भूमि का व्यावसायिक भूमि में सम्परिवर्तन ही हुआ है। प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 ने अपनी उंची पहुँच से मनमानी कार्यवाही करके उक्त वर्णित भूमि से वादी को बेदखल करने पर उतारू है तथा भूमि को बिना भू–रूपान्तरण करवाये कृषि से अकृषि में परिवर्तन करने व निर्माण करने पर आमादा है। जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार किसी किस्म का नही है। इसलिए वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है एवं भूमि का विधिक विभाजन करवाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या–1 ता 5 ने वादी को दिनांक 08–03–2019 को मौके पर आकर वादी को अपने द्वारा निष्पादित विक्रय पत्रों का हवाला देकर स्वयं द्वारा व्यावसायिक के रूप में भूमि खरीद लेने व अब मौके पर ताकत के बल पर दुकानों का निर्माण चालू करने की धमकी देने व भूमि की मौका सूरत तब्दील करने पर आमादा होने से वादकारण पैदा होकर दावा करना लाजिम आया है। बिना विधिक तकास्मा कराये तथा कृषि भूमि को बिना भू–रूपान्तरण करवाये कृषि से अकृषि में परिवर्तन करवाने की धमकी देने पर माननीय अदालत में बिनाय ए दावा पैदा होकर दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वकील वादी ने कृषि भूमि खसरा नम्बर 838, 839, 840 कुल किता 3 कुल रकबा 0.34 हैक्टर तन ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) जिला सीकर (राज0) का पक्षकारान के हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर पक्षकार की अलग–अलग बट्टा नम्बर डालकर अलग–अलग राजस्व रिकार्ड बनाया जाकर लगान कायम किये जाने तथा तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाये जाने का निवेदन वकील वादी ने अपने वादपत्र में किया है।

इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी नं. 1 से 2 की ओर से श्री कमलेश कुमार शर्मा प्रतिवादी एडवो0 ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया एंव प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब दावा पेश किया प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा से पूर्णतया सहमति व्यक्त करते हुए प्रतिवादी नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.15 17:01:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

15/12/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

2 की ओर से भी वही जवाब दावा माना जाने एंव स्वीकार किये जाने बाबत लिखित में अवगत कराया है। प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 की ओर से श्री सरदार सिंह कुड़ी द्वितीय एड0 ने उपस्थित होकर जवाब दावा पेश किया। प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 6, 8 व 9 की तामील असालतन हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 7 के सम्मन पर मृत्यु होना अंकित होकर आई है। प्रकरण में वकील वादी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का पेश कर सुजाता पुत्री जगतबंधु जाति ब्राह्मण निवासी थोई को अति आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद सहवन से पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। जिसे वादपत्र में आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी संख्या 10 संयोजित किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर वकील प्रतिवादीगण श्री सरदार सिंह कुड़ी द्वितीय एड0 ने पक्षकार बनाये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किये जाने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का स्वीकार किया जाकर सुजाता पुत्री जगतबंधु जाति ब्राह्मण निवासी थोई को आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी संख्या 10 संयोजित किया गया। वकील वादी ने संशोधित शीर्षक वादपत्र पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में वकील वादी ने प्रतिवादी संख्या 7 के नाऔलाद फौत होने से उसके विरूद्ध वादी कोई कार्यवाही नहीं चाहने का निवेदन किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 7 के विरूद्ध कार्यवाही विड्रा की गई। प्रतिवादी संख्या 10 की तामील असालतन होकर आने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 10 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में वकील वादी ने अपने द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में पक्षकारान् के मौके पर काबिज अनुसार बंटवारा किये जाने हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने अपनी सहमति व्यक्त करते हुए प्रारम्भिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव मंगाये जाने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की। वादपत्र के बंटवारा का होने से पक्षकारान् के मौके पर कब्जे काश्त व हक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.15 17:01:11 IST
Reason: SelfAttested

12/12/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

हिस्से अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विधिक तकासमा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाये जाने हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विभाजन प्रस्ताव मँगवाये जाने बाबत सहमति व्यक्त करने पर प्रकरण में दिनांक 28.02.2022 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव चाहे गये। जिसकी पालना में भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 1398/भू.अ./22 दिनांक 23.05.2022 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई।

वकील वादी ने तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट से पूर्णतया सहमति व्यक्त करते हुए प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 की ओर से श्री सरदार सिंह कुड़ी द्वितीय एड0 एवं प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री कमलेश कुमार शर्मा प्रथम एड0 ने तहसीलदार द्वारा पेश प्रस्ताव (विभाजन) को स्वीकार कर उसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया गया। वही प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से श्री कमल कुमार शर्मा एड0 ने एक आपत्ति विरूद्ध प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 28.02.2022 का पेश कर अवगत कराया गया कि प्रार्थी की अनुपस्थिति में मनमाने रूप से प्रार्थी का हिस्सा नष्ट करने की मंशा से विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। जिसमें भूमि खसरा नम्बर 839 में प्रार्थी के हिस्से में बताया गया भूमि खसरा नम्बर 839/1 रकबा 0.3000 हैक्टर किसी भी रूप में उपयोगी नहीं होने तथा चाह भूमि खसरा नम्बर 838 में सभी के बीच बंटवारा होने तथा उक्त विवादित भूमि के पूर्व दिशा में थोई– चौपड़ बाजार में जाने वाले सड़क पर प्रार्थी को कोई भूमि नहीं दिये जाने बाबत एंव खसरा नम्बर [illegible] के दक्षिणी–पश्चिमी कोने में प्रतिवादी दीवाकर की पुख्ता दुकान बनी होकर [illegible] के दादा का अंतिम संस्कार करके इनका स्मारक बने होने से उक्त विभाजन प्रस्ताव को निरस्त फरमाया जाकर पुनः

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.15 17:01:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

15/12/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मँगवाये जाने का निवेदन अपने प्रार्थना पत्र में किया है। इसके उपरान्त प्रतिवादी संख्या 6 ने दिनांक 12.09.2022 को पुनः एक प्रार्थना पत्र राजीनामा का पेश किया। जिसमें वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 839 के पूर्व दिशा में जाने वाली कस्बा थोई की रोड़ की उत्तर–दक्षिण लम्बाई 210 फुट एंव खसरा नम्बर 840 के दक्षिण दिशा से जा रही रोड़ नीमकाथाना से अजीतगढ़ जाने वाले स्टेट हाईवे भूमि की लम्बाई 170 फुट है। जिसमें से प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 6 के 1/6 हिस्से में आने वाली खसरा नम्बर 839 के उत्तर में स्थित खसरा नम्बर 838 कुवें व उसके पीछे पश्चिम में मंदिर की भूमि है को छोड़कर खसरा नम्बर 840 व 839 की सीमा पर रोड़ फ्रन्ट के 1/6 हिस्से की भूमि श्रवण कुमार प्रतिवादी नं. 6 को दिये जाने का निवेदन किया गया। उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजीनामा पर उपस्थित प्रतिवादी संख्या 6 व उनके पिता श्री मक्खनलाल को उनके अधिवक्ता के माध्यम से सुना गया तथा उभय पक्षकारान् के अधिवक्तागणों को सुना गया। जिसमें सुनवाई के दौरान प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान् से खुले न्यायालय में सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में आपसी समझाईस के प्रयास किये गये तथा उपस्थित पक्षकारान् व वकुलाय उभय पक्षकारान् का पक्ष सुना गया। जिसके उपरान्त प्रकरण में दौराने सुनवाई प्रतिवादी नं. 6 व उनके पिता श्री मक्खनलाल ने जरिये अधिवक्ता के माध्यम से तहसीलदार श्रीमाधोपुर से भिजवाये गये प्रस्ताव व नजरी नक्शें में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 839 में मिन बट्टा नम्बर 839/3 में अंकित जगह पर भूमि दिये जाने एंव भूमि खसरा नम्बर 840 में मिन बट्टा नम्बर 840/3 में अंकित जगह पर भूमि प्रतिवादी संख्या 6 को दिये जाने बाबत अपनी–अपनी सहमति व्यक्त की। प्रतिवादी संख्या 6 की आपत्ति दिनांक 21.07.2022 में वर्णित तथ्यों के अनुसार प्रार्थी द्वारा सभी सह खातेदारों को [illegible] की भूमि दिये जाने की बात कही है। अतः खसरा नम्बर 839 व 840 [illegible] थोई चौपड़ बाजार व कांवट–अजीतगढ़ सड़क (स्टेट हाईवे) पर स्थित [illegible] दोनों सड़कों के भू–भागों में मूल्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.15 17:01:11 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

(किमत) में बाजार मूल्य के अनुसार काफी ज्यादा अन्तर है। इस स्थिति में राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 20 (क) के आलोक में सभी सह खातेदारों को अपने – अपने हिस्से के अनुपात में दोनों सड़कों पर भूमि दिया जाना उचित प्रतित होता है। इस प्रकार प्रार्थी की आपत्ति दिनांक 21.07.2022 का निस्तारण किया जाता है।

वकील प्रतिवादी संख्या 6 व प्रतिवादी संख्या 6 के पिता द्वारा सहमति देने के उपरान्त तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 839/1 रकबा 0.02 हैक्टर पर अंकित भूमि प्रतिवादी दिवाकर को, 839/2 रकबा 0.03 हैक्टर पर अंकित भूमि प्रतिवादी सं. 06 श्रवण कुमार को, 839/3 रकबा 0.0150 हैक्टर पर अंकित भूमि प्रतिवादी संख्या 10 सुजाता को एंव 839/4 रकबा 0.03 हैक्टर पर अंकित भूमि वादी डालूराम को एंव 839/5 रकबा 0.0850 हैक्टर पर अंकित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 दिवाकर को दिये जाने तथा इसी अनुसार भूमि खसरा नम्बर 840/1 रकबा 0.025 हैक्टर पर अंकित भूमि को वादी डालूराम को, 840/2 रकबा 0.0125 हैक्टर पर अंकित भूमि प्रतिवादी संख्या 10 सुजाता को, 840/3 रकबा 0.0250 हैक्टर पर अंकित भूमि प्रतिवादी संख्या 6 श्रवण कुमार को एंव 840/4 रकबा 0.0875 हैक्टर पर अंकित भूमि प्रतिवादी सं. 1 दिवाकर को विधिक बंटवारे में दिये जाने हेतु सहमति बनी है।

हमनें वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकुलाय उभय पक्षकारान् द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार वादग्रस्त आराजियों की खातेदारी वादी एंव प्रतिवादीगण नं. 1, 6 व 10 के नाम शामलाती दर्ज रिकार्ड है। जिनका पक्षकारान् के मध्य अभी तक विधिक विभाजन नहीं हुआ है। उक्त भूमि मौके पर बंटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.15 17:01:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

12/12/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

हुई नहीं होकर सम्मिलित रूप से होना प्रकट होता है। उक्त वादग्रस्त भूमियाँ पक्षकारान् के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होकर संयुक्त खातेदारी की भूमियाँ होना प्रकट होता है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विधिक तकास्मा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाये जाने एंव पक्षकारान् के उनके हक हिस्सा व खातेदारी व कब्जा काश्त अनुसार भूमि का विधिक विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मँगवाये गये विभाजन प्रस्ताव में पक्षकारान् से बार–बार आपसी समझाईस की जाने के उपरान्त पक्षकारान् में बनी आपसी सहमति के आधार पर उक्तानुसार विधिक विभाजन किया जाना उचित समझता हूँ। वादी व प्रतिवादीगण के हक हिस्से व कब्जे काश्त अनुसार खातेदारी में दर्ज भूमियों का बंटवारा किये जाने हेतु पक्षकारान् के आपस में बनी सहमति के अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) ★ श्रीमाधोपुर (सीकर) ★

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपयुर्क्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है एंव आराजीयात के विधिक विभाजन को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 1398/भू.अ./22 दिनांक 23.05.2022 के संलग्न प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट व नजरी नक्शा में आंशिक संशोधन इस प्रकार किया जाता है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 838 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 839 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 840 रकबा 0.15 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 0.34 हैक्टर तन ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) का पक्षकारान् वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विधिक विभाजन किया जाकर पक्षकारान् को नजरी नक्शा में दर्शित भूमियों में से भूमि खसरा नम्बर 839/1 रकबा 0.02 **हैक्टर पर अंकित भूमि** प्रतिवादी दिवाकर को, 839/2 रकबा 0.03 हैक्टर पर अंकित भूमि प्रतिवादी सं. 06 श्रवण कुमार को, 839/3 रकबा 0.0150 हैक्टर पर अंकित भूमि प्रतिवादी संख्या 10 सुजाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.15 17:01:11 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

को एंव 839/4 रकबा 0.03 हैक्टर पर अंकित भूमि वादी डालूराम को एंव 839/5 रकबा 0.0850 हैक्टर पर अंकित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 दिवाकर को दिये जाने तथा इसी अनुंसार भूमि खसरा नम्बर 840/1 रकबा 0.025 हैक्टर पर अंकित भूमि को वादी डालूराम को, 840/2 रकबा 0.0125 हैक्टर पर अंकित भूमि प्रतिवादी संख्या 10 सुजाता को, 840/3 रकबा 0.0250 हैक्टर पर अंकित भूमि प्रतिवादी संख्या 6 श्रवण कुमार को एंव 840/4 रकबा 0.0875 हैक्टर पर अंकित भूमि प्रतिवादी सं. 1 दिवाकर को विधिक बंटवारे में दी जाती है। इस विधिक बंटवारें में दोनों सड़कों पर स्थित खसरा नम्बर 839 व 840 में प्रत्येक सहखातेदार के हक हिस्से के अनुसार उसी अनुपात में फ्रन्ट सहित भूमि दी जावे तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 838 रकबा 0.01 हैक्टर तन् ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर की खातेदारी मुताबिक जमाबन्दी बदस्तूर रखी जाती है। इसी अनुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती की जावें। अंतिम डिक्री इसी कदर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह

(दिलीप सिंह)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)

सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)

श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 12.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.15 17:01:11 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह

(दिलीप सिंह)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)

सहा. कलक्टर (फास्टट्रेक)

श्रीमाधोपुर (सीकर)